

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /280/ का.से.ल. /24

देवास दिनांक 27/03/2024

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्थामी श्री अशोकसिंह चावडा पिता श्री नारायणसिंह चावडा 10/1 चन्द्रलोक नगर देवास विकासकर्ता जीवी डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री विकास क्षोत्रिय पिता श्री सुरेशचन्द्र क्षोत्रिय 2316-ई सुदामा नगर इंदौर, श्री गोपाल सिंह कुशवाह पिता श्री तेजपाल सिंह कुशवाह नवलकछा चौराहा 401 सिद्धार्थ विहार 12-13 प्रकाश नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. 384/3, 387/2/1, 387/4 कुल रकबा 0.848 हैक्टर में से 0.799 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय अशोक आंनद पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1851.43 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 13 से 25 एवं 26 से 42 कुल 30 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1851.43 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

Shail,
भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

~~27/03/24
27-3-24~~

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /243/ का.से.ल. /24

देवास दिनांक 26/03/2024

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा मेरसर्स कनक काउन खसरा न.902 ट्रेजर प्राईम के सामने बिजलपूर इंदौर तर्फ पार्टनर श्री मनमीतसिंह सलुजा पिता श्री मनमोहन सिंह सलुजा, श्री संदीप सिंह सलुजा पिता श्री मनमोहनसिंह सलुजा निवासी 861/1/5 ट्रेजर टाउन बिजलपूर इंदौर, श्री राजेश कुमार सोनी पिता श्री जवाहरलाल सोनी निवासी 169 एम.जी.रेड देवास, श्री देवेन्द्र शर्मा पिता श्री तुलसीरामजी शर्मा निवासी वी-2/12 वसंत विहार उज्जैन, श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री कैलाशचन्द्र जी गुप्ता निवासी 31 रामनगर देवास द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क्र. 218/1, 219, 221/11, 221/2 कुल रकबा 3.455 हैक्टर में से 3.235 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय काउन पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 6157.54 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. 119 से 186 तथा SR 209 से SR 220, कुल 80 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6157.54 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी 26/03/2024
नगर पालिक निगम देवास

26-03-24

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

देवास दिनांक ०९/०२/२०२४

क्र. / १११ / का.सेल. / २४

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा साई डेवकॉन तर्फ पार्टनर श्री दीपक पिता श्री हरीराम हिन्दुजा निवासी १०/१, ५०१ न्यु पलासिया इंदौर, श्री पियुष पिता श्री आजाद कुमार शर्मा निवासी १७ गोयल ऐवेन्यु निपानिया इंदौर द्वारा ग्राम शंकरगढ जिला देवास स्थित खसरा क्र.३३४/१/२, ३३४/२/२, ३३४/३, ३४७/१/२/२, ३४७/२/२/२, ३४८/१/४/१/१/१/२/२, ३४८/१/४/२/२, ३४८/१/६/२, ३५०, ३५१/१/२, ३५२/१, ३५३/१ कुल रक्षा १.९२१ हैक्टर में से १.९१७७ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल ४५३४.६१ वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. ०४ से १४, १८, २१ से ३०, ४६, ४७, ५९, ६०, ६१, ६६ से ७०, ७३ से ८७, ८९ से ९४, ९७, १०५, १२८, १३३, १३९ कुल ५८ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ४५३४.६१ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


भवन अधिकारी

नगर पालिक निगम देवास

४२
२१/०२/२४
०९.२-२५

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / २४ / का.से.ल. / २३

देवास दिनांक १०/०१/२०२४

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भौमियाजी लैण्ड एण्ड फायरेंस कंपनी द्वारा भागीदार श्री गौरव जैन पिता स्व. श्री कैलाश कुमार जैन, श्रीमती मंजुबाला जैन पति स्व. श्री कैलाश कुमार जैन ९० शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. ११७८, ११७९/१, ११७९/२, ११८०, ११८१, ११८२, ११८३, ११८४, ११८५, ११८६, ११८७, ११८८, १२०१ कुल रक्खा ४.७५५ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री कैलाश मानसरोवर कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल ९८६८.९१ वर्गमीटर के भूखण्ड क. ०१ से २२, ४५, ५६, ५७, ५८, ८८, ९३ से १११, ११६ से १२४, १३० से १५३, १७३ से १७९, १९१, १९२, २१६, २१७, २४२, २४३, २७८, २७९ कुल ९४ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ९८६८.९१ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेंटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कथ/विकथ नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कथ/विकथ किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

भूपेन आजकारा
नगर पालिक निगम देवास
१०/०१/२०२४

2024
१०-०१-२४

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / ५३ / का.से.ल. / २३

देवास दिनांक १५/०१/२०२४

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा रुद्राक्ष इन्फा तर्फ भागीदार श्री गौरव जैन पिता स्व. श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीन सिंह पिता श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री इन्द्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी, पता ९० शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह व जिला देवास में स्थित खसरा क्र. ७८६/२, ७८७/२, ७८८/१, ९०३/२ कुल रक्कबा ०.५६९ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कालोनी रुद्राक्ष फेस-२ कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवजं में संबंधित द्वारा उपपंजीय कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल १३०५.३३ वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. ०१, १० से ३४ कुल २६ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल १३०५.३३ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

१०७
२१ मंग २१
१५/१/२४

मृग
भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
१५/०१/२०२४

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 60 / का.से.ल. / 24

देवास दिनांक 15/01/2024

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा मेसर्स कान्हा इन्फाटेक तर्फ भागीदार श्री मयंक पिता श्री प्रमोद रघुवंशी, श्री अंकित जायसवाल पिता श्री राजेन्द्र जायसवाल, श्री धनपाल पिता श्री सौवाल सिंह 101 मिश्रीलाल नगर देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. 477/2/2 कुल रकबा 0.678 हैक्टर में से 0.579 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कान्हा ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपर्यज्ञीय कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1582.25 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 03, 09 से 15, 20 से 23, 30 से 36 एवं 45 से 49 कुल 26 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1582.25 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्षय/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्षय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

15/01/2024
भवेश अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

15/01/2024

कायालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /३८ / का.सेल./ २३

देवास दिनांक १२/०१/२०२४

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा सांवरिया डेवलपर्स तर्फ भागीदार श्री बिरजु पिता श्री देवरावजी थोरात, श्री अखिलेश सोनी पिता श्री किशोर सोनी, श्री कमल आहुजा पिता श्री श्यामसुंदर आहुजा, श्री दर्शन शाह पिता श्री त्रिलोकचंद शाह, श्री हेमंत पिता श्री शरदचंद्र क्षीरसागर ०१ सांवरिया कालोनी मेण्डकी रोड देवास द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्वे क्र. २१८/२, २२१/६/२ एवं २२१/७/१ कुल रकबा २.५३० हैक्टर में से २.४२३ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय सांवरिया ग्रीन कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवं जैव में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल ४७०४.१४ वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. ०१ से ५३, १६५ से १६८, १४८ एवं १४९ कुल ५९ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ४७०४.१४ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

N
भंवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
12/01/2024

21/01/24
12/01/24

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 1273 का.से.ल. / 23

देवास दिनांक 20/12/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी मेसर्स कामधेनु ऐजेंसी तर्फ श्री गोविंददास मुंडडा पिता श्री किशनलाल (उर्फ कृष्ण मुंडडा), श्रीमती लीलादेवी मुंडडा पति ख.श्री नारायणदास मुंडडा, श्रीमती उर्मिला मुंडडा पति श्री गोपालदास मुंडडा, 24 एचआयजी विजय नगर देवास विकासकर्ता विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खंसरा क. 833/6, 838/2, 854 कुल रक्खा 1.610 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक प्रिमियम फेस-1 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3128.16 वर्गमीटर के भूखण्ड क. P-2, P-5 से P-27 कुल 24 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3128.16 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

भवत आधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

21/12/23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /1265/ का.सेल./23

देवास दिनांक १५।१२।२०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री रामनिवास मित्तल 122 शांति निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 839/2, 853 कुल रकबा 2.937 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक प्रिमियम फेस-2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4712.97 वर्गमीटर के भूखण्ड क. S-137, S-146, S-147, S-29 से S-46, S-63 से S-69, S-77, S-84 से S-88, S-90 से S-92 कुल 37 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4712.97 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन आदिविकारी
नगर पालिक निगम देवास
18।१२।२०२३

1-12-23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

1238 का.सेल./23

देवास दिनांक 04/12/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा हर्षिता डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल ग श्री किशनलाल अग्रवाल, श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता 31 रामनगर देवास ग्राम बिजाना तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्वे क. 211/2 एवं 214/3/2/1 रकबा 0.530 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय हर्षिता विहार कालोनी को विकास कार्य भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में घित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2634.86 वर्गमीटर के छड़ क. 01 से 27, 31 से 37, 39 से 43, SR-3 एवं SR-4 कुल 2634.86 वर्गमीटर है। गस कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से ग्रवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नहीं किया। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः व्यानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन आवास कालोनी
नगर पालिक निगम देवास

1-12-23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 117) / का.सेल. / 23


देवास दिनांक 23/10/2023

-3

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी श्री चिंतामन पटेल पिता श्री श्यामलाल उर्फ श्री बद्रीलाल, श्री जितेन्द्र मोदी पिता श्री गोविंद मोदी विकासकर्ता पेडर्स कार्पोरेट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री पकंज व्यास पिता श्री बाबुलाल व्यास, श्री राकेश जोशी पिता श्री भवानीशंकर जोशी, श्रीमती अनिशा पति श्री पंकज व्यास प्लाट न.102 आनंद इन्क्लेव सोसायटी 33 ए अमृत पैलेस निपानिया इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ तहसील व जिला देवास स्थित भूमि खसरा क्रमांक 125, 126, 128, 96/2/1, 96/4/3/1, 98/1 कुल रक्का 5.919 हैक्टर में से 3.479 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित देवास इण्डस्ट्रीयल पार्क कालोनी औद्योगिक विकास को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 6496.67 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. 01, 11, 12, 13, 17, 21, 27, 30, 32, एवं 33 कुल 10 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6496.67 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।



26-10-23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 1180 / का.से.ल. / 23

देवास दिनांक 30/10/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क्र. 1192, 1193, 1194/3, 1195, 1196/1, 1232/3, 1232/4, 1234/2, 1235/1/2, 1235/2 कुल रकबा 2.272 हैक्टर में से 2.272 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. 01, 34 से 38, 39, से 45, 75 से 76, 77, 114 से 119, 120 से 125, 146 से 150, 154, 156 से 162, 166 से 173, 174 से 190 कुल 66 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

४१
२१८१
३०.१०.२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / १३५/ का.से.ल. / 23

देवास दिनांक ०६/१०/२०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री अजय अग्रवाल पिता श्री रमेश कुमार अग्रवाल 73 बी शालनी रोड देवास द्वारा ग्राम बालगढ तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. 45/2/1, 45/2/2/2, 45/3/2 कुल रकबा 0.632 हैक्टर में से 0.631 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय वैदिक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपर्युक्त कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1870.29 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 12, 33, 34, 41 से 45 एवं 47 से 49 कुल 22 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1870.29 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

एकान्न
९-१०.२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 1124 / का.सेल. / 23

देवास दिनांक 05/10/2023

विज्ञाप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर गंगा बिल्डकॉन तर्फे श्री विनोद पिता श्री जेठानंद हासानंदानी, श्री उत्कर्ष पिता श्री मनोज राजानी 16/3 सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा ग्राम मेढकीचकं तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क्र. 445, 446, 447/1, 473/2/1, 473/2/2, 473/3, 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 487, 488, 489/1, 489/2, 489/3, 490/1, 490/2, 491, 528/1, 529/1 कुल रकबा 2.224 हैक्टर में से 2.194 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गंगा पेरेडाईज कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपर्युक्त कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3941.75 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. 13 से 18, 29 से 52, 96 से 104, 109 से 118 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3941.75 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

मवन
नगर पालिक निगम देवास
OK
05/10/2023

पर्य
10-23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / १०२ / का.सेल./ २३

देवास दिनांक २७/०९/२०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स ट्रायडेंट डेव्हलपर्स तर्फे श्री आनंद पिता श्री वाल्मीकी चौरसिया, श्री विवेक पिता श्री भेरुलाल पाठीदार, श्री मुकेश पिता श्री बनेसिंह दीवान, श्री अर्जुन पिता श्री दरियावसिंह चौधरी ५७ जेएसएम त्रिगोने नवरत्न हैरिटेज बालगढ रोड देवास द्वारा ग्राम ईटावा तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. ३/१/२/१, ३/२/१ कुल रकबा २.९८४ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गोल्ड सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल ८२३८.५६ वर्गमीटर के भूखण्ड क. १, २, १७ से ४२, ५७ से ६०, ७६ से ८६, १०० से १११, १२७ से १४०, १७६ से १९६, १९९ से २१० एवं २१२ से २२७ कुल ३६ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ८२३८.५६ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत् भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

(६) ~~भवन अधिकारी २०२३~~
नगर पालिक निगम देवास

११८२
२१.०९.२३

कायालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / १०७१ / का.सेल./ 23

देवास दिनांक २१/०९/२०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री सिद्धीविनायक डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री कपिल कारला पिता श्री माधवदास कारला श्री प्रदीप पिता श्री रामप्रसाद चौधरी, श्री मनीष पिता श्री माधवदास कारला ६४ कैलाश पार्क गीता भवन इदौर द्वारा ग्राम बालगढ तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. १७८/१, १७८/३/१, १७८/४, १७८/५/१, १७८/५/२, १७९/२ कुल रकबा १.६६५ हैक्टर में से १.६६० हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री सिद्धीविनायक विहार कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कायालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल ४४६७.४४ वर्गमीटर के भूखण्ड क. ०६ से १०, १९, २०, ३० से ३६, ४९, ५०, ६३ से ९६ कुल ४९ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ४४६७.४४ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

भवत आधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
२१/०९/२०२३

मम
०९-२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /२७३/ का.से.ल./२२

देवास दिनांक ११/०२/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री नाथ ऐसोसिएट्स देवास तर्फे
 श्री ओमप्रकाश यादव पिता श्री हीरालाल यादव, श्री राकेश पिता श्री भुरालाल, श्री विनोद
 पिता श्री रमेशचन्द्र, श्री सोहनलाल पिता श्री प्रहलाद निवासी ०३ शुक्वारिया हाट
 देवास द्वारा ग्राम देवास सिनियर स्थित भूमि सर्वे क. ४४१/६/२, ४४१/५ कुल रकबा
 ०.७३९ हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय कृष्णा ग्रीन्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने
 की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर
 द्वारा १९६१.३८ वर्गमीटर के भूखण्ड क. ०२, ०७, ०८, ११, १२, १३, १८, १९, २५ से ३४, ३६
 से ४६ एवं ५३ कुल ३० भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का
 क्षेत्रफल १९६१.३८ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को
 निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का
 कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया
 जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।



भवन आधिकारी
नगर पालिक निगम देवास ११/०२/२०२२

१४-२-२०२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / २५० / का.से.ल. / २२

देवास दिनांक ०७/०२/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री रुद्राक्ष इन्फा निवासी ९० शालीनी रोड देवास तर्फे श्री गौरव जैन पिता श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीन सिंह पिता श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री इंद्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी द्वारा ग्राम देवास जुनियर मैथित भूमि सर्वे क. ७८२/३, ७८४/३, ७८५, ७८६/१, ७८७/१, ९०२/१, ९०३/१, ९०४, ९०५/२ रकबा १.३३। हैक्टर भूमि पर श्री रुद्राक्ष कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा २५६२.६२ वर्गमीटर के भूखण्ड क.०७ से १६, २४ से ३३, ५४ से ६१, ६४ से ७४, ११९ से १२२, १२७, १४९, १५० कुल ४६ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल २५६२.८२ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

म.प्र.
भवन आधिकारी ०२०२२
२५० नगर पालिक निगम देवास

२५०/२२
०७-२-२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /256 / का.से.ल. / 22

देवास दिनांक 08/02/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फ पार्टनर श्री मोनेश पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री राजेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनील पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल निवासी एलजी-2, 351-ए महालक्ष्मी नगर इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ़ जिला देवास स्थित भूमि सर्व क.23/3/3, 23/3/4, 23/3/5, 23/3/6, 23/4/3/2, 23/4/4/2, 23/4/5/2, 23/4/6/2 रकबा 1.337 हैक्टर भूमि पर स्वास्तिक सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3218.32 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 27 से 46, 77 से 80, 82 से 106 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3218.32 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

पाठा 6
8-2-22

महान अधिकारी 08/02/2022
नगर पालिक निगम देवास

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)


क्र. / ६५०/का.से.ल./22

देवास दिनांक २०/०५/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर गेसर्स मॉ कामाख्या रियलिटिज तर्फ भागीदार श्री शंकरलाल पिता श्री किशोरीलाल शर्मा, श्री इशान जैन पिता श्री प्रदीप जैन निवासी ०१ भक्त प्रह्लाद नगर इंदौर द्वारा याम देवास सिनियर स्थित भूमि सर्व क. ४१३ रक्षा १.१७३ हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय श्री किशनधाम कालोनी को विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा ३५९८.८१ वर्गमीटर के भूखण्ड क. ०१ से ६० कुल ६० भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ३५९८.८१ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अदैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।



नगर पालिक निगम देवास

दिनांक २०/०५/२०२२

५५
२१/८२
१० ५-२०२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /५७३/ का.से.ल. /२२

देवास दिनांक १२।०५

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्री जाकिरउल्ला पिता श्री सादुल्ला शेख, श्रीमती जहीर बी पति श्री शफीउल्ला शेख, श्रीमती कौसर परवीन पिता श्री शफीउल्ला शेख, श्रीमती राज्जो परवीन पिता श्री शफीउल्ला शेख निवासी क्षेत्र-१४ सूपर मार्केट देवास तरफे विकासकर्ता गंगा डेवकान प्रायवेट लिमिटेड १६/३ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर तरफे डायरेक्टर डॉ हरीश मगलानी पिता श्री गगाराम मगलानी, श्री पवेल राजानी पिता श्री मनोज राजानी, श्री हर्ष हासानदानी पिता श्री विनोद हासानदानी, एवं (सी.ई.ओ.) श्री विनोद हासानदानी पिता श्री जेठानद हासानदानी निवासी १६/३ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा देवास सिनियर स्थित भूमि सर्व क ३९७/२ रकबा ०.४३४ हेक्टर में से ०.३०८ हेक्टर भूमि तथा ३९७/३ रकबा ०.४६४ हेक्टर कुल रकबा ०.७७२ हेक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय गंगा विहार एकटेशन २ कालोनी को विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा १६६५.०९ वर्गमीटर के भूखण्ड क. ०१, ०२, १५, १६, १७ से २१, २२ से २८, ४० से ४४ कुल २१ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल १६६५.०९ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री का दावा
नगर पालिक निगम देवास

५८१
२१८१
५८१
५८१

कार्यालय नगर पालिक निगम देवासा (म.प्र.)

म. / ५३८/ का रोल / २२

देवासा दिनांक २२ | ०१) २२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवासा द्वारा कालोनाईजर भूमिरतामी श्री बद्रीलाल (बद्रीप्रसाद) पिता स्व. श्री आरसाराम मोहरी, श्रीमती रमावाहु पति श्री बद्रीलाल माहरी, श्री गोत्तम पिता श्री बद्रीलाल मोहरी, श्री दिनेश पिता श्री बद्रीलाल मोहरी निवासी १५२ २०२/१ मीना बाजार एंडीरोड देवास तथा विकासकर्ता वरदान इन्डियल द्वारा भागीदार श्रीमती निधि पति श्री नितिन शिरपुरकर निवासी ६०१ ए औम गुरुदेव काम्पलेक्स विजय नगर इंदौर श्रीमती प्रगति पति श्री विवेक दिवाकर शिरपुरकर निवासी ५२५ गोयल विहार धाराजना गणेश मंदिर के पास इंदौर तर्फ ग्राम देवास सिनियर तहरील देवास स्थित भूमि संख्या ५७५/१, ५७५/२, ५७५/३, ५७६/२, ५७७/१, ५७८/३, ५७९/१, ५८०/१ एवं ५८१/१ कुल रक्खा १.१०२ हेक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय आनंद विहार लकड़ी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा ३४०४.७५ वर्गमीटर के भूखण्ड के ०१ से ०९, १६ से २१, २५ से ३१, ३९ से ४९, ५४ से ६४, ६८ से ८० कुल ५७ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ३४०४.७५ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेट निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों का निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भूमि अधिकारी
नगर पालिक निगम देवासा

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /५०८/ का सेल./ 22

देवास दिनांक १३।०४।२०

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्थानी श्रीमती शांतीबाई कसेरा पति स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्री संजय कसेरा पिता स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्री अनिल कसेरा पिता स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्रीमती ममता पति श्री महेन्द्र कुमार कसेरा, श्रीमती अनिता पति स्व.श्रीसत्यनारायण कसेरा, श्री हर्ष कसेरा पिता स्व.श्री सत्यनारायण कसेरा, दिशा पिता स्व.श्री सत्यनारायण कसेरा, श्रीमती रानी पिता स्व.श्री मनीष कसेरा निवासी 53 सुभाष चौक के पास अखाडा रोड देवास विकासकर्ता सनशाईन कस्ट्रॉक्शन 207 सेकण्ड फ्लोर घन ट्रिडेट नगर इंदौर तरफे श्री बालकृष्ण पटेल पिता श्री राधेश्याम पटेल निवासी ग्राम दसोडा तहसील सनावद जिला खरगोन द्वारा ग्राम देवास सिनियर जिला देवास के खसरा क.38, 39/1/1, 40/1, 41/1, 43, 40/2, 41/पैकी, 47, 55/पैकी कुल रकबा 4.31 हेक्टर में से 3.190 हेक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय श्री राजशांती ग्रीन्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 8563.82 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 6 से 23, 25 से 31, 34 से 41, 43 से 46, 49 से 52, 55 से 62 एवं 84 से 92 कुल 58 भूखण्ड बधक रखे गये हैं। उक्त बधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 8563.82 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

मवन अधिकारी 20/4
नगर पालिक निगम देवास

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 803 / का.सोल. / 22

देवास दिनांक 24/06/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर राई कृषा डेवलपर्स तफे भागीदार श्री परीक्षित जोशी पिता श्री राजेन्द्र जोशी, श्री मिलीद पिता श्री राजेन्द्र जोशी, श्री पुष्पेन्द्र कुमार पिता श्री कल्याणमल माहेश्वरी 101 सुराना नगर बडवाह तह बडवाह जिला खरगोन द्वारा ग्राम देवास सिनियर मे रिथत खसरा क.422/1/13/1/1/2 कुल रक्खा 1.779 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय विनायक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज मे कालोनाईजर द्वारा 2638.46 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 15, 99 से 109 कुल 26 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डो का क्षेत्रफल 2638.46 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम मे बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डो को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डो का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि मारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डो का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।



भवन अधिकारी
एस.पालिक निगम देवास

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /८९२/ का.से.ल. /२२

देवास दिनांक २२/०६/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स मेसर्स नानक डेवलपर्स तर्फ पार्टनर रसभीत सिंह पिता श्री अजीतसिंह मल्होत्रा, श्रीमती जसभीतसिंह कौर पति श्री रसभीतसिंह मल्होत्रा, श्रीमती अमृत कौर पति श्री अजीतसिंह मल्होत्रा निवासीगण ५२ नेहरू वार्ड अलका टाकिज के पास पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क्र. ८९० रकबा २.०५९० हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गोल्डन सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा ३८४६.४३ वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. ०१, ०५ से १३, ४६ से ५१, ५८, ५९, ६१, ६९, ७६ से ८१, ९६ से १०१, ११५ से १२३ एवं १३६ से १४१ कुल ४७ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल ३८४६.४३ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी २०१२
नगर पालिक निगम देवास

११
२२/०६/२२


क्र. / ८२५ / का से.ल. / २२

देवास दिनांक ०१/०७/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिका निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेससे भूमिस्थामी सिल्वर लाइंस लैण्ड एण्ड फायनेंस कंपनी तर्फ भागीदार श्रीमती शीतल महाजन पति श्री सिद्धार्थ शंकर महाजन निवासी 305 विशाल ऐवेन्यु नाथ मंदिर रोड इंदौर, श्रीमती निलिमा महाजन पति श्री अशोक कुमार महाजन 45/३ मोती बंगला देवास, श्रीमती मीना जैन पिता श्री रमणलाल महाजन 161 तिलक नगर देवास, मेससे सिद्धार्थ शंकर अशोक कुमार महाजन एचयूएफ कर्ता सिद्धार्थ शंकर महाजन पिता श्री अशोक कुमार महाजन 45/३ मोती बंगला देवास तर्फ विकासकर्ता गंगा बिल्डर्स 16/३ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया तर्फ श्री विनोद हासानदानी पिता श्री जेठानंद हासानदानी, श्री उत्कर्ष राजानी पिता श्री मनोज राजानी द्वारा याम मेढ़कीचक जिला देवास के खसरा क.483, 492/१, 493/१ कुल रकम ०.९०६ हैक्टर मूमि प्रस्तवित आवासीय श्री. शंकर गंगा पेराडाईज कालोनी को विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1431.19 वर्गमीटर के मूख्यण्ड क.23 तथा 24 से 42 कुल 20 मूख्यण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये मूख्यण्डों का क्षेत्रफल 1431.19 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन मूख्यण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त मूख्यण्डों का कय/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त मूख्यण्डों का कय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।



भवन अधिकारी ०१/०७/२०२२
नगर पालिका निगम देवास

०१/०७/२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /852/ का.से.ल./22

देवास दिनांक 12/07/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्री जलालउद्दीन पिता सरफुददीन, श्री सईदउद्दीन पिता सरफुददीन निवासी मोहनसिंह पुरा देवास, श्री संतोष पिता श्री श्यामसुदर श्रीवास्तव 67 शांती निकेतन इंदौर विकासकर्ता मेसर्स आराध्या डेवलपर्स तर्फ भागीदार श्री पंकज पाण्डे पता श्री धनश्यामदास पाण्डे, श्रीमती निधी पाण्डे पति श्री पंकज पाण्डे निवासी 602 अल्सटर मेरी शालीमार टाउनशीप इंदौर द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास स्थित भूमि सर्वे क्र.221/5, 221/9, 221/10, 224/2, 225, 226, 227, 228, 229/2, 230 एवं 231 रकबा 3.797 हैक्टर में से 3.583 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आराध्या टाउनशीन फेस 2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 6713.54 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. 01, 29 से 57, 124, 125, 127 से 131, 232 से 245, 194 से 215, 105 से 123 कुल 92 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6713.54 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः प्रवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।



मवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

म
-07-22

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / ८६८/ का. सेल. / 22

देवास दिनांक १८/०७/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्थामी श्री दिलीप कुमार पिता श्री शरदचंद्र जाधव भगतसिंह मार्ग देवास विकासकर्ता प्रेम डेवलपमेंट तर्फे पार्टनर श्री जितेन्द्र जैन पिता. स्व. श्री प्रेमचंद जी जैन निवासी 25 एम.एम.स्कीम न. 94 रिंग रोड इंदौर, श्री ललित भण्डारी पिता श्री ज्ञानचंद भण्डारी निवासी महावीर बाग इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर में स्थित खसरा क. 790, 895/1 कुल रकबा 2.472 हैक्टर में से 2.0385 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय रॉयल हैरिटेज कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3624.53 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 18, 33 से 49, 66, 67 एवं 164 से 168 कुल 42 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3624.53 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है, तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मंत्री अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
18/07/2022

2022
18-07-22

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 858/ का.सोल./22

देवास दिनांक 14) 07/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर बीडीएस डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री भरत जैन पिता स्व.श्री प्रेमचंद जैन 117 शांति निकेतन कालोनी इंदौर, श्री दर्शनलाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल आरएच-29 पॉलीवाल सिटी, पालीवाल नगर मनीषपुरी इंदौर, श्रीमती आशा गोयल पति श्री सत्यनारायण गोयल 120 सीई स्कीम न.140 गेट न.02 पिपल्याहाना गणेश भवन के पास इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर में स्थित खसरा क.411, 412/1, 412/2/1/1 कुल रक्खा 2.1712 हैक्टर में 2.1025 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आईरीस बी.डी.एस.पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 6247.76 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 11, 26, 27, 56 से 84, 96 से 100, 121 से 131 कुल 58 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6247.76 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य तभी किया जाये। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

14/07/2022

25/6
14.07.22

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / १५५ का.से.ल. / 22

देवास दिनांक ३०।०८।२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स ट्रायडेट डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री आनंद पिता श्री वाल्मीकी चौरासिया, श्री विवेक पिता श्री भेरुलाल पाटीदार श्री मुकेश पिता श्री बनेसिंह दीवान, श्री अर्जुन पिता श्री दरियावसिंह चौधरी निवासी ५७ त्रिगोने नवरत्न हैरिटेज बालगढ रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क. ८५६/२, ८५७/२, ८५८, ८५९/२, ८६० एवं ८६२/२ रकवा १.५९५ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्रीनाथ रेसीडेन्सी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा २५७६.६ वर्गमीटर के भूखण्ड क. ०१ से १२, ४९ से ५२, ५८ से ६९, ७६ से ७८, ८४ से ८७, १२७ कुल ३६ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल २५७६.६ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जाये। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

मयन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास

माय
३०-८-२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 1075 / का. सेल. / 22

देवास दिनांक 29/09/2022

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मारुति डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री अजयपालसिंह पिता श्री लालसिंह दावेडकर, श्री सुभाष जाकेटिया पिता श्री मदनलाल जाकेटिया निवासी 122 कालानी बाग देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक तहसील देवास स्थित भूमि सर्व क. 376, 378 रकवा 1.008 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय पुर्वाक्षराज सिटी एनेक्स कालोनी को विकास कायं प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2538.39 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 09, 25 से 37, 45 एवं 56 से 71 कुल 39 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2538.39 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
28/09/2022

28/09/2022
28/09/2022

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क. / १०७) / का.से.ल. / 22

देवास दिनांक ०७/१०/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री दीपक कुमार पिता श्री मन्जुलाल गर्ग 117 तुकोगंज रोड नयापुरा देवास द्वारा ग्राम बिलावली तहसील देवास स्थित सर्वे क. 165/1/1, 166/1/2, 165/2/2/1 रकबा 2.835 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय भवित ऐन्यु फेस-2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 4437.97 चर्मीटर के भूखण्ड क. 352 से 388, 390, 454 से 459, 495 से 498, 505, 506, 520 से 525 कुल 56 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4437.97 चर्मीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

आतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से वेधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः विधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।



नगर पालिक
निगम देवास

भवन अधिकारी
निगम देवास

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / ११५६ / का. से.ल. / 22

देवास दिनांक १५) १०।२।०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री एंसोसिएटेस बी-१/१२ आवास नगर ए.वी.रोड देवास तरफ़ भागीदार श्री पियुष नैनानी पिता श्री कन्हैयालाल नैनानी ३६ शुक्लारिया हाट देवास, श्री यश शर्मा पिता श्री ओमप्रकाश शर्मा १० कानुनगो कालोनी श्री वालचंद शर्मा १० कानुनगो कालोनी, श्रीमती भारती शर्मा २३ राधागंज देवास, श्री प्रेम नैनानी ३६ शुक्लारिया हाट देवास द्वारा ग्राम बिलावली तहसील देवास स्थित सर्वे क्र. १६३/१/१, १६३/१/२, १६३/२/२/२ एवं १८०/२/२ कुल रकवा २.९३९ हैक्टर में से १.४३२ हैक्टर गृणि पर प्रस्तावित आवासीय श्री धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्ता कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा २६१६.२० चर्गमीटर के भूखण्ड क्र. ०१ से १४, १७, २८, २९, ३२, ३३, ४५, ६९, १०२ से १०७, सी-१ से सी-६ कुल ३३ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल २६१६.२० चर्गमीटर है। विकास कार्य पेरे निगम में बंधक रखे गये हैं।

आतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विवित भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर युन्यवत रहेगा।

मवन आधिकारी
मवन आधिकारी
२८.२.२२

पूर्ण
पूर्ण

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प.)

क्र. / ११५८ / का. से. / २२

देवास दिनांक १३/१०/२०२२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास ह्वारा कालोनाईजर कान्हा ऐसोसिएट्स तर्फे भागीदार श्री रवि पिता श्री गणेशराम नैनानी ३८ शुक्रवारिया हाट देवास, श्री चिनोद पिता श्री मुरालाल चंजचंदनानी ७३ मिश्रीलाल नगर देवास, श्री रितेश पिता श्री मोहनलाल अग्रवाल २५५ बी कालानी बाग देवास, श्री ओमप्रकाश पिता श्री हीरालाल यादव गवती मोहल्ला देवास ह्वारा ग्राम बिलावली तहसील व. जिला देवास स्थित भूमि खसरा क्रमांक १८५/२/२, १८३/१/३/१/१/१/२, १८६ कुल रकबा १.२८२३ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित सुदूर पार्क वर्णन्यक (थोक एवं विशेष बाजार) कालोनी को विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर ह्वारा २३०५.०३ कार्मीटर के भूखण्ड क. १८ से २६, ३२ से ३४, ३९ से ४५ एवं ६२ से ६५ कुल २३ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल २३०५.०३ कार्मीटर है। विकास कार्य के निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर ह्वारा इन भूखण्डों को निगम से विवित भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुच्यवत् रहेगा।

प्रभारी
पालिक निगम देवास

१३.१०.२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /१६६५ का.सेल./ 22

देवास दिनांक २७/१२/२०२

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री दीपक कुमार गर्ग पिता श्री मनुलाल गर्ग निवासी 117 तुकोगंज रोड नयापुरा देवास द्वारा ग्राम अमोना तहसील व जिला देवास सर्वे क. 177/2 रकबा 1.943 हेक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय डीएमजी किंस पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1674.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 06 से 09, 85 से 92 कुल 12 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1674.00 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

(*[Signature]*)
भवन अधिकारी
भारत पालिक निगम देवास
2022

ग्रा। ५
३०-१२-२२

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / १५ / का.से.ल. / 22

देवास दिनांक २३।०१।२०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती ग्रायत्रीराजे पवार पति स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार, श्रीमंत विकमसिंह पवार पिता स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार, कनिका राजे पवार पिता स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार निवासी आनंद पैलेस ए.बी.रोड देवास एवं कालोनी विकासकर्ता रीगल रॉयल्स स्केप्स पता एल.एल.पी.309 टी.बी.सी.टावर गीता भवन चौराहा ए.बी.रोड इंदौर तर्फ पार्टनर सैम इंडस्ट्री लि. तर्फ डायरेक्टर श्री आशुतोष माहेश्वरी पिता श्री अशोक माहेश्वरी, श्री देवराजसिंह पिता स्व.श्री राजेन्द्रसिंह बडगरा, श्री आदित्य बोरड पिता श्री मनीष बोरड, श्री करण नरसरिया पिता श्री श्याम नरसरिया एवं श्रीमती प्रिती आसुदानी पति श्री विजय आसुदानी देवास जिला देवास द्वारा ग्राम देवास सिनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क.381/995/2/2, 381/996, 381/997, 381/1001/2, 381/1002, 381/1003, 381/1004, 381/1005, 381/1006, 381/1007, 381/1008, 381/1009 एवं 381/1010/2 कुल रकबा 5.0328 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आनंद विलास कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3368.46 वर्गमीटर के भूखण्ड क. एफ1 से एफ11 एवं सी 7 कुल 12 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3368.46 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है (तो) वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

१५
भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम देवास
23।०१।२०२३

१५
२१।०१।२३
२३।०१।२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /113 / का.से.ल. / 23

देवास दिनांक 25/01/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर ताज बिल्डकॉन तर्फ पार्टनर श्री पुनीत दिल्यवगीय पिता श्री दिलीप विजयवगीय, श्री मुस्तफा पिता श्री हैदर अली, श्री हुसैन पिता श्री मुस्तफा अली, श्री हुज़ेफा पिता श्री मुस्तफा अली, श्री दिलीप कुमार पिता श्री सुरजमल दिल्यवगीय 52 भगतसिंह मार्ग देवास द्वारा याम जेतपुरा तहसील व जिला देवास सर्वे क. 106/1/2, 106/4/1/2 कुल रकबा 1.805 हेक्टर में से 1.618 हेक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय ताज रेसीडेंसी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 11 से 30, 33 से 41, 51, 52, 57 से 59, 71, 74 से 79, 85, 91, 93 एवं 105 कुल 45 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अद्यानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मवन आहुला
नगर पालिक निगम देवास 2023

23/01/2023



कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 178 / का. सेल. / 23

देवास दिनांक 30/01/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्रीजी रियल स्टेट तर्फे श्री वैभव पिता श्री गोपाल स्वरूप गुप्ता, श्री मोहित पिता श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवारतव 313 राजाराम नगर देवास द्वारा ग्राम मेडकीचक तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 689/2, 691/1/4 कुल रकबा 0.493 हैक्टर में 0.400 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कृष्णा विहार कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपर्युक्त कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1360.06 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01, 03 से 18 कुल 17 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1360.06 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करां लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

(N) *[Signature]*
मवास अधिकारी 30/01/2023
नगर पालिक निगम देवास

३१०२१
31-01-23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /217 /का.सेल./23

देवास दिनांक ०८/०२/२०२३

विज्ञाप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स गंगा ऐसोसिएट तर्फे भागीदार डॉ.हरिश पिता श्री गंगराम मंगलानी, श्री विनोद पिता श्री जेठानंद हासानंदानी, श्री विवेक पिता श्री डॉ.हरीश मंगलानी, श्री हर्ष पिता श्री विनोद हासानंदानी, श्री पवेल पिता श्री मनोज राजानी, श्री पलाश पिता श्री कैलाश राजानी पता 16/3 सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा ग्राम मेढकीयक तहसील देवास स्थित भूमि सर्वे क्र.503/1/1/2/1/2/2, 504/2/2, 510/1, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5/2, 514/2 रक्खा 5.334 हैक्टर में से 5.2712 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कैलाश पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4644.83 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. 176 से 192, 193 से 200, 201 से 208, 209 से 217, 218 से 221, 222 एवं 223 कुल 48 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4644.83 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

महान् अधिकारी
उमर पालिक निगम देवास
०८/०२/२०२३

मम
१०२-२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवासा (ग.प्र.)

३८७/का.सोल./२३

देवासा निगम १३) ०३) २०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवासा हासा कालोनाईजर आराध्या हेतुलपरा तरफे श्री पंकज पाण्डे
हता श्री धनश्याम पाण्डे, श्रीमती निषि पाण्डे पति श्री पंकज पाण्डे निवासी 602 अल्साटर गोरे
पालीमार टाउनशीप इंदौर हासा ग्राम बीराखेडी तहसील व जिला देवासा राई क.221/1/2,
21/3, 233/1/2, 234/1/1/2 कुल रक्का 1.972 हैक्टर भूमि पर प्रतावित आवारीय
आराध्या पिमीयम रेसीडेंसी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई
। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर हासा उपपंजीयक कार्यालय
देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4437.14 वर्गमीटर के भूखण्ड क.01 से 04, 15 से 21,
16, 41 से 44, 46, 47, 48, 52, 55, 59 से 77, 109 से 113, 123 से 126 कुल 49 भूखण्ड
धृक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4437.14 वर्गमीटर है। विकास
कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर हासा इन भूखण्डों को निगम से
वेधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नहीं दिया
जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः
भ्रष्टानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मंगल अमरा
नगर पालिक निगम देवासा

२५
१५.३.२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. /619 / का.सेल./ 2023

देवास दिनांक १५.०६.२०२३

चतुर्थ निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विभास) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि सर्वे क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत चतुर्थ बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रिलिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 15.06.2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेप्डर बाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 14.06.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रु. 1180/- मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 16.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भूखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	प्लाट क्र.	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि वर्गमीटर में	भूखण्ड की आफर राशि	दस प्रतिशत अमानत राशि	विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का उपयोग
1	192	72	6500	468000	46800	आवासीय
2	196	72	6500	468000	46800	आवासीय

नोट :-

- शर्त एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।
- निविदा से संबंधित शर्त एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

(विशाल सिंह चौहान) रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम देवास

५५
२१०८/१
१६.५.२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. /७६५/का.सेल./2023

:- पंचम निविदा विज्ञप्ति :-

देवास दिनांक ०९/०६/२०२३

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि सर्व क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत पंचम बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रिलिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 05.07.2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर वाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 04.07.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रु. 1180/- मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क्र. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	प्लाट क्र.	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि वर्गमीटर में	भूखण्ड की आफर राशि	दस प्रतिशत अमानत राशि	विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का उपयोग
1	190	90	6500	585000	58500	आवासीय
2	191	72	6500	468000	46800	आवासीय
3	194	72	6500	468000	46800	आवासीय
4	200	82.32	6500	535080	53508	आवासीय
5	204	91.44	6500	594360	59436	आवासीय

नोट :-

- शर्त एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।
- निविदा से संबंधित शर्त एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।


 (विशाल सिंह चौहान) रा.प्र.से.
 आयुक्त
 नगर पालिक निगम देवास

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / 822 का.सेल./ 23

देवास दिनांक 22/06/2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती सुनिताबाई पति श्री कैलाशचन्द्र, श्री अजय पिता श्री कैलाशचन्द्र, श्री हेमंत पिता श्री कैलाशचन्द्र निवासी गोमती नगर बालगढ देवास विकासकर्ता स्वास्तिक बिल्डकॉन तर्फ पार्टनर 01. श्री राजेश कुमार जैन पिता श्री नेमीचंद जैन 02. श्री अनुज जैन पिता श्री राकेश जैन 234 एम.आर.-5 महालक्ष्मी नगर इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 308/1/2/2, 308/1/2/1 कुल रकबा 1.089 हैक्टर में से 0.955 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री कैलाश धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2942.72 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 04 से 09, 10 से 21, 22 से 30, 57 से 61 कुल 32 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2942.72 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

महालक्ष्मी नगर पालिक निगम देवास
भवन अधिकारी 22/06/2023

४५२६२
२२.६.२३

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

/ 897 / का. सेल. / 23

देवास दिनांक 12) 07) 2023

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर बुद्धा इनफारस्ट्रक्चर तर्फ भागीदार श्री नयंक पिता श्री प्रमोद रघुवंशी, श्री शंकर पिता श्री सोपान भोले, श्री अंकित पिता श्री राजन्द्र जायसवाल, श्री हरीश पिता श्री मुकुटराव कनसे शॉप न.03 शारदा माता मंदिर कैलादेवी चौराहा देवास द्वारा ग्राम बावडिया प.ह.न.38 तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्व क. 249 / 2 / 2 कुल रकबा 0.350 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय देवास बुद्धा पार्क एक्सटेंशन को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1042.44 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 10, 13, 14, 20 एवं 23 से 28 कुल 19 भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1042.44 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

मवन आवक्ता
नगर पालिक निगम देवास
13.7.23

४१
२८२१
13.7.23

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. /१०२/ का.सेल. / 22

देवास दिनांक १२/०७/२०२३

विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर रुद्राक्ष इन्फा तर्फ पार्टनर श्री गौरव जैन पिता श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीनसिंह सोलंकी पिता श्री गंगा सिंह सोलंकी, श्री इन्द्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी ९० शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तहव जिला देवास में स्थित खसरा क. ४७०/१, ४७०/२/२ कुल रकबा १.०५२ हैक्टर में से १.०५१ हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री रुद्राक्ष वेली को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा २०३२.७६ वर्गमीटर के भूखण्ड क. २४ से २८, ३७ से ४८, ६७ से ७८ कुल २९ भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल २०३२.७६ वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नहीं किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत् रहेगा।

४१
२१८२
१३.७.२३

मै भवन अधिकारी १२/०७/२०२३
नगर पालिक निगम देवास

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. / १३५ / का.सेल. / 2023

देवास दिनांक २०) ०७/२०२३

— षष्ठम निविदा विज्ञप्ति :—

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विभाग) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि रावें क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत पंचम बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रिलिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 08.08.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर वाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 07.08.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य ₹. 1180/- मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 09.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। चूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भूखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	प्लाट क्र.	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि वर्गमीटर में	भूखण्ड की आफर राशि	दस प्रतिशत अमानत राशि	विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का उपयोग आवासीय
1	191	72	6500	468000	46800	आवासीय
2	200	82.32	6500	535080	53508	आवासीय

नोट :—

- शर्त एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।
- निविदा से संबंधित शर्त एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

१०/८/२३
१०.१.२३

(विशाल सिंह औहान) रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम देवास